FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

मीरे खां बनाम खमेश खां वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 131, 136 RLR नं. 145 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/2016	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 RLR राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/8/2016 को पेश हो। [signature] 19/07/2016 सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	1534 / 19/7/16
22/08/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 CPC मृतकी सूचना विप्रार्थी संख्या 2 मय संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील विप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम के नोटिस पुनः पेश करें। पेश होने पर जारी होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 28/09/16 को पेश हो। [signature]	
28/09/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील अप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश करें पेश होने पर जारी होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 22/11/16 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म

22/11/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये, आईन्दा पेश करना चाहते हैं। इन्तजार किया जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/01/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

17/01/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये, आईन्दा पेश करना चाहते हैं। चूंकि पीठासीन अधिकारी अन्य दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/06/17 को पेश हो।

16/06/17 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये आईन्दा पेश करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08/08/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) [illegible]

08/08/17 पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधि[illegible] दीगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल [illegible] होकर दिनांक 12/12/17 को [illegible] हो।

12/12/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेश की पालना नहीं की गई, आईन्दा करना चाहते हैं। चूंकि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/03/18 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेश की पालना नहीं की गई, कोर्ट करना चाहते हो पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01/05/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
01/05/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी न्याय कार्य हेतु अभियानों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/08/18 को पेश हो।	
13/08/18	अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे है श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/10/18 को पेश हो।	
30/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्या मे व्यस्त है। पत्रावली इल्तवा होकर। दिनांक 18/02/19 को पेश हो।	
18/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव मिटिंग में जयपुर पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/04/19 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, बहस करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/19 को पेश हो।	
24/06/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/09/19 को पेश हो।	
18/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/12/19 को पेश हो।	
23/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 6/1/2020 को पेश हो।	
6/1/2020	प्रार्थी वकील उप० / प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षीगण के रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये जो जारी होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 4/2/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (CDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 07/04/2020 को पेश हो। [signature]	
07/04/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 29/07/2020 को पेश हो। [signature]	
29/07/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। [signature]	
08/09/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 09/11/2020 को पेश हो। [signature]	
09/11/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/02/2021 को पेश हो। [signature]	
16/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है तथा पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/05/2021 को पेश हो। [signature]	
10/05/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहक... हुक्म के ... में जारी
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई। वकलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 11/11/2021 को पेश हो।	
11/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 06/01/2022 को पेश हो।	
06/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12/01/2022 को पेश हो। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।	
12/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 09/02/2022 को पेश हो। ... कलक्टर (SDO) बायतु	
09/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मूल आवेदन व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–145/2016

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थी**

प्रार्थीगण:

मीरे खां पुत्र सईद खां
जाति मुसलमान निवासी
खोखर दक्षिण, तहसील
गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी:

1. खमेश खां पुत्र फुआ
2. फरीद खां पुत्र बिजला खां फौत के कायम मुकाम
   2/1. रमजान खां पुत्र फरीद खां
   2/2. सरादीन खां पुत्र फरीद खां
   2/3. मदार खां पुत्र फरीद खां
   2/4. अदरीम खां पुत्र फरीद खां
3. खींवरे खां पुत्र सिलेमान खां
4. भीखेखां पुत्र सिलेमान खां
5. मुरीद खां पुत्र सिलेमान खां
6. इमियों पत्नी सिलेमान खां
7. सोमराज खां पुत्र भूरे खां
8. करीम खां पुत्र भूरे खां
9. फुली पत्नी सरादीन खां जाति मुसलमान निवासी खोखर दक्षिण, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
10. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांकः–09.02.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत मौजा खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1792/1697 रकबा 75.01 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा नम्बर 1697 का भाग था तथा बाद में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के मध्य मूल खसरा नम्बर 1697 का बंटवाड़ा होने के बाद नये खसरा नम्बर 1792/1697 प्रार्थीगण के पक्ष में आया तथा प्रार्थीगण की भूमि की अलग तरमीम भी सहमति बंटवाड़े की अनुसार की गई। लेकिन प्रार्थी के खसरा नम्बर 1792/1697 रकबा 75.01 बीघा व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के खसरा नम्बर 1793/1697, 1794/1697, 1697, 1795/1697, 1801/1697 रकबा क्रमशः 82.18, 84.01, 82.15, 83.05, 07.01 बीघा की लट्‌ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़ा के अनुसार नहीं करके गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1792/1697 रकबा 75.01 बीघा व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के खसरा नम्बर 1793/1697, 1794/1697, 1697, 1795/1697, 1801/1697 रकबा क्रमशः 82.18, 84.01, 82.15, 83.05, 07.01 बीघा लट्‌ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अन्तर है। प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जा काश्त व सहमति विभाजन के अनुसार लट्‌ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व दिनांक 06.01.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.01.2009 को आपसी सहमति से अपनी–अपनी कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 1697, 1693, 1695, 1696 व 1774 का बंटवाड़ा करवाया गया था। लेकिन लट्ठा ट्रेस में व बंटवाड़ा इकरारनामा के साथ संलग्न बरंग नक्शा में आंशिक परिवर्तन है। बंटवाड़ा अनुसार प्रर्थी के खसरा नम्बर 1792/1697 की तरमीम संलग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 1695 गैर मुमकिन से लगती हुई है जबकि वर्तमान में लट्ठा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर 1695 गैर मुमकिन से हटते हुए अंकित है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा इकरारनामा के संलग्न नक्शा व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा की प्रार्थी के खसरा नम्बर 1792/1697 रकबा 75.01 बीघा व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के खसरा नम्बर 1793/1697, 1794/1697, 1697, 1795/1697, 1801/1697 रकबा क्रमशः 82.18, 84.01, 82.15, 83.05, 07.01 बीघा की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा व सहमति बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु